

प्रेस नोट जनपद फतेहपुर

दिनांक 23.04.2025

हत्या सहित लूट के प्रयास / चोरी/ नकबजनी से सम्बंधित 12 शातिर अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट के तहत की गयी कार्यवाही -

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद फतेहपुर श्री धवल जायसवाल के निर्देशानुसार अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपराध नियंत्रण हेतु थाना कोतवाली, थाना बिंदकी व थाना थरियांव पर समाज विरोधी क्रिया कलापों में लिप्त 12 शातिर अभियुक्तों के विरुद्ध 2/3 उ0प्र0गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम 1986 का अभियोग पंजीकृत किया गया। उक्त कार्यवाही से अपराध व आपराधिक गतिविधियों में अंकुश लगेगा।

थाना- कोतवाली नगर

चोरी, नकबजनी कर अनुचित तरीके से धनोपार्जन करने वाले उक्त गिरोह के विरुद्ध थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 148/2025 धारा 2/3 उ0प्र0गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम 1986 बनाम निम्नोक्त पंजीकृत कराया गया व इनके अवैध क्रिया कलापों से अर्जित की गयी सम्पूर्ण सम्पत्ति को धारा 14(1) गैंगेस्टर एक्ट के तहत जब्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।

क्र0स0	अभियुक्त का नाम	पंजीकृत गैंग	कुल पंजीकृत अभियोग की संख्या
1.	मो० इरसाद पुत्र मो० इसहाक उर्फ मुमताज अहमद निवासी पठान मोहल्ला आबूनगर थाना कोतवाली जन० फतेहपुर 25 वर्ष (गैंगलीडर)	चोरी, नकबजनी से सम्बंधित गैंग D-85/2025	11
2.	रीशू पासवान पुत्र श्रीराम उम्र 22 वर्ष निवासी झाऊपुर पुलिया थाना राधानगर जनपद फतेहपुर	चोरी, नकबजनी से सम्बंधित गैंग D-85/2025	01
3.	शकील पुत्र अक्काश उर्फ गरीब निवासी अन्दौली पुलिया थाना राधानगर जनपद फतेहपुर हाल पता आबूनगर थाना कोतवाली जनपद फतेहपुर उम्र 32 वर्ष	चोरी, नकबजनी से सम्बंधित गैंग D-85/2025	02

थाना- कोतवाली नगर

खुलेआम सड़क पर लूट कर अनुचित तरीके से धन उपार्जित करने वाले उक्त गिरोह के विरुद्ध थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0 149/2025 धारा 2/3 उ0प्र0गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम 1986 बनाम निम्नोक्त पंजीकृत कराया गया व इनके अवैध क्रिया कलापों से अर्जित की गयी सम्पूर्ण सम्पत्ति को धारा 14(1) गैरेस्टर एक्ट के तहत जब्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।

क्र0स0	अभियुक्त का नाम	पंजीकृत गैंग	कुल पंजीकृत अभियोग की संख्या
1.	सुल्तान उर्फ छोटे पुत्र स्व० मोहम्मद सिद्दीक निवासी अंजने कबीर थाना खखरेरु जनपद फतेहपुर उम्र करीब 35 वर्ष (गैंगलीडर)	लूट से सम्बंधित गैंग IR- 18/25	14
2.	आदिल उर्फ गुलफाम पुत्र स्व० मोहम्मद सिद्दीक निवासी अंजने कबीर थाना खखरेरु जनपद फतेहपुर उम्र करीब 28 वर्ष	लूट से सम्बंधित गैंग IR-18/25	10

थाना- बिंदकी

गाली गलौज व जानमाल की धमकी देते हुए घातक आयुध के साथ चोरी की घटना को अंजाम देने वाले उक्त गिरोह के विरुद्ध थाना बिंदकी पर मु0अ0सं0 167/2025 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम 1986 बनाम निम्नोक्त पंजीकृत कराया गया व इनके अवैध क्रिया कलापों से अर्जित की गयी सम्पूर्ण सम्पत्ति को धारा 14(1) गैरेस्टर एक्ट के तहत जब्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।

क्र0स0	अभियुक्त का नाम	पंजीकृत गैंग	कुल पंजीकृत अभियोग की संख्या
1.	मो सिराज ० सरताज पुत्र मो ० उम्र करीब वर्ष वर्तमान निवासी 40 0नं0म -2/A 6B आवास विकास कालोनी के पीछे हंसपुरम मछरिया थाना नौबस्ता कानपुर नगर स्थायी पता 328/130 अजीत मंज टीपी नगर थाना बाबूपुरवा कानपुर नगर।	गाली गलौज मारपीट करना धमकी देना व अवैध असलहा के तमंचा लेकर चोरी करने समबंधित गैंग IR 23/25	04
2.	चांद अली पुत्र स्व० अकबर अली उम्र करीब वर्ष 28 वर्तमान निवासी राजा सिंह का गड्डा गढी मछरिया थाना नौबस्ता कानपुर नगर स्थायी पता पनौआबाबा मंदिर के पास गढी मझरिया 328 मछरिया रोड थाना नौबस्ता कानपुर नगर।	गाली गलौज मारपीट करना धमकी देना व अवैध असलहा के तमंचा लेकर चोरी करने समबंधित गैंग IR 23/25	04
3.	तालिब पुत्र स्व० अबरार उम्र करीब वर्ष निवासी कबीरनगर 24 थाना नौबस्ता चौकी आवास विकास, मछरिया गढी के पास कानपुर नगर।	गाली गलौज मारपीट करना धमकी देना व अवैध असलहा के तमंचा लेकर चोरी करने समबंधित गैंग IR 23/25	04

थाना- बिंदकी

घातक आयुध से लैस होकर चोरी , नकबजनी व हत्या सहित लूट का प्रयास करने वाले उक्त गिरोह के विरुद्ध थाना बिंदकी पर मु0अ0सं0 166/2025 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम 1986 बनाम निम्नोक्त पंजीकृत कराया गया व इनके अवैध क्रिया कलापों से अर्जित की गयी सम्पूर्ण सम्पत्ति को धारा 14(1) गैरेस्टर एक्ट के तहत जब्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी ।

क्र0स0	अभियुक्त का नाम	पंजीकृत गैंग	कुल पंजीकृत अभियोग की संख्या
1.	अमित पटेल उर्फ पारुल पुत्र रज्जन पटेल उम्र करीब 20 वर्ष निवासी ग्राम चित्तापुर थाना कल्यानपुर जनपद फतेहपुर (गैंगलीडर)	चोरी, नकबजनी, अवैध अशलहा व तमंचे लेकर लूट करने से सम्बंधित गैंग D- 87/25	07
2.	आकाश राजपूत पुत्र छोटेलाल उम्र करीब 24 वर्ष निवासी ग्राम चित्तापुर थाना कल्यानपुर जनपद फतेहपुर	चोरी, नकबजनी, अवैध अशलहा व तमंचे लेकर लूट करने से सम्बंधित गैंग D- 87/25	03

थाना- थरियांव

लूट व चोरी कर अनुचित तरीके से धन उपार्जित करने वाले उक्त गिरोह के विरुद्ध थाना थरियांव पर मु0अ0सं0 114/2025 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम 1986 बनाम निम्नोक्त पंजीकृत कराया गया व इनके अवैध क्रिया कलापों से अर्जित की गयी सम्पूर्ण सम्पत्ति को धारा 14(1) गैरेस्टर एक्ट के तहत जब्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी ।

क्र0स0	अभियुक्त का नाम	पंजीकृत गैंग	कुल पंजीकृत अभियोग की संख्या
1.	राजेश कुमार जायसवाल उर्फ गुड्डा पुत्र स्व० गोकुल निवासी विधासिन थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ उम्र 38 वर्ष(गैंगलीडर)	लूट से सम्बंधित गैंग IR- 24/25	18
2.	अनूप जायसवाल पुत्र चन्द्रभान जायसवाव निवासी विधासिन थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ उम्र 30 वर्ष	लूट से सम्बंधित गैंग IR- 24/25	04

सोशल मीडिया सेल
जनपद फतेहपुर ।